IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR.

T.S-196/09

SHTRUDHAN RAI ....PLAINTIFF

Vs.

MOST. SIYA DEVI & OTHERS.....................................DEFENDANTS

28.08.20 पुकार पर उभय पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के आवेदन दिनांक–12.06.20, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर उभय पक्षों को सुना गया।

वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 मो0 सिया देवी की मृत्यु दिसंबर माह 2019 में हो गयी है, जिसके सभी वारिसान पूर्व से इस वाद में पक्षकार है। अतः मृत प्रतिवादी सं0–01 का नाम वादपत्र से कलमजद् करने की प्रार्थना की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का मौखिक विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है एवं विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–05 लिमिटेशन एक्ट, दाखिल किया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए प्रार्थना न्यायहित में स्वीकृत की जाती है। कार्यालय तद्नुसार मृत प्रतिवादी सं0–01 का नाम वादपत्र से विलोपित करे।

दिनांक– 18.09.2020 वास्ते साक्ष्य वादी की ओर से।

अवर न्यायाधीश